REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) FOR SELECTION OF A NODAL AGENCY FOR

SCHOLARSHIP PROGRAMME FOR DIASPORA CHILDREN (SPDC)



GOVERNMENTOF INDIA MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS,

DISCLAIMER

This Request for Proposal (RFP) is issued by Ministry of External Affairs (MEA) for the selection of a Nodal Agency for Scholarship Programme for Diaspora Children (SPDC) from experienced companies/organisations.

This RFP is neither an agreement, nor an offer or invitation to perform work of any kind for any party. The purpose of this RFP is to provide interested parties with information to assist the preparation of their Proposal and Bid.

Whilst the information in this RFP has been prepared in good faith, it is not and does not purport to be, comprehensive or to have been independently verified. Neither Government of India, MEA nor any of its officers or employees, or any of their advisers, consultants accept any liability or responsibility for the accuracy, reasonableness or completeness of, or for any errors, omissions or misstatements, negligent or otherwise, relating to the proposed event, or makes any representation or warranty, express or implied, with respect to the information contained in this RFP or on which this RFP is based or with respect to any written or oral information made or to be made available to any of the recipients or their professional advisers and, so far as permitted by law and except in the case of fraudulent misrepresentation by the party concerned, and liability therefore is hereby expressly disclaimed.

The information contained in this RFP is selective and can be updated, expanded, revised and amended at the sole discretion of MEA. It does not, and does not purport to, contain all the information that a recipient may require for the purposes for making a decision for participation in this process. Neither MEA nor any of its officers, employees nor any of its advisors nor consultants undertakes to provide any Party with access to any additional information or to update the information in this RFP or to correct any inaccuracies therein which may become apparent. Each Party must conduct its own analysis of the information contained in this RFP, to correct any inaccuracies therein and is advised to carry out its own investigation into the proposed event, the regulatory regime which applies thereto and by and all matters pertinent to the Project and to seek its own professional advice on the legal, financial, regulatory and taxation consequences of entering into any agreement or arrangement relating to the Event.

This RFP includes certain statements, estimates, projections, targets and forecasts with respect to the Event. Such statements estimates, projections, targets and forecasts reflect various assumptions made by the management, officers and employees of MEA, which assumptions (and the base information on which they are made) may or may not prove to be correct. No representation or warranty is given as to the reasonableness of forecasts or the assumptions on which they may be based & nothing in this RFP is, or should be relied on as, a promise, representation or warranty.

DEFINITIONS

Agreement	Agreement that shall be signed between MEA and Partner (SPDC). Standard agreement is attached as Annexure-III with all details.	
Applicant / A Company / organization which has expermined managing / arranging the scholarship program Ministries / Departments of Government of India.		
Application / Bid Application for qualification prepared in response to RFP document.		
MEA / Client	MEA / Client Ministry of External Affairs, Government of India.	
Partner	The successful applicant / bidder selected by MEA for SPDC scheme pursuant to the 2-stage bidding process.	
Academic Year The 12 months period, in case of: Commencing from 1st day of July of any year and ending on the 31st day of the following calendar year.		
Working day	Any weekdays (Mon-Fri) except national holiday. All event days would be considered as Working day for the purpose of this event.	

TIMELINES FOR THE RFP

S. No	Specifications	Date	Time
(i)	Uploading of RFP on Central Public Procurement Portal (https://www.eprocure.gov.in)	17.06.2022	1700 Hrs
(ii)	Download the RFP and submission of bid	17.06.2022	1700 Hrs
(iii)	Pre-bid meeting for any clarification about the Tender/RFP	27.06.2022	1500 Hrs
(iv)	Last date of Submission of bid	09.07.2022	1700 Hrs
(v)	Opening of Technical bid	11.07.2022	1430 Hrs
(vi)	Opening of financial bid	TBC	TBC

CONTACT PERSONS

Ms. Manika Jain,	Contact No.: 011-24676210,
Additional Secretary (OIA)	Email: <u>as.oia@mea.gov.in</u>
Shri Rajender Kumar,	Contact No.: 011-24197949
US (OIA-II)	Email: <u>usoia2@mea.gov.in</u>
Shri Abhijit Mitra,	Contact No.: 011-24197956,
Section Officer (OIA-II)	Email: soloia2@mea.gov.in

Estimated Bid Value - Rs. 25 Lakh.

Bid Validity - 06 months.

INTRODUCTION.

Government of India launched a scheme called "Scholarship Programme for Diaspora Children" (SPDC), in the academic year 2006-2007, to assist the Children of Persons of Indian Origin (PIOs) and Non-Resident Indians (NRIs) in pursuing their Under Graduate courses in Indian Universities/Institutes in India and to promote India as a centre of higher studies. Subsequently, the Scholarship Programme was extended to Children of Indian Worker in 17 ECR countries (Afghanistan, Bahrain, Indonesia, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Malaysia, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Thailand, United Arab Emirates and Yemen).

2. OBJECTIVE.

The objective of this RFP is to select an appropriately qualified and adequately experienced Nodal Agency, to act as the Service Provider, who will enter into a Contract with the Overseas Indian Affairs Division-II (OIA-II) of the Ministry of External Affairs for a period of three Academic Years 2022-23, 2023-24 and 2024-25.

3. SCOPE OF WORK.

To provide its services in implementation of SPDC under control & suggestions of the Ministry including following tasks:

- 3.1 Promotion of the SPDC in India and abroad through the websites, newspaper advertisement, distribution of brochures, Social Media, e-mails etc.
- 3.2 Scrutiny of Applications received online, scrutinizing them and pointing out shortcomings if any; and asking for the missing documents/clarifications, if required, from the applicants.
- 3.3 Categorization of applications according to different categories of NRI/PIOs/Children of Indian Workers in ECR countries etc.
- 3.4 Communicate with the applicant and answer their queries.
- 3.5 Present all applications before the Selection Committee with details of both complete & incomplete applications and eligible & ineligible candidates.
- 3.6 Calculation of the admissible scholarship amount and disbursement to the Institutes.
- 3.7 Monitoring the performance of the students.
- 3.8 Seek and Analysis Feedback from concerned Indian Missions/Posts, parents of the students, universities etc. about the Scheme for the Scholarship awardees.

- 3.9 Regularly showing the complete account of scholarships, amounts disbursed and balance amount available to the Ministry on quarterly basis.
- 3.10 Facilitating the Ministry in issuing of necessary certificate/documents related to scholarship to the applicants / Institute.
- 3.11 Identifying changes if any which need to be made in SPDC portal including those of the content.
- 3.12 To coordinate with the educational Institutes and candidates for disbursement of scholarship to the existing batches already selected under the scheme from the Academic year 2018-19 onwards.

4. ELIGIBILITY CRITERIA.

- 4.1 Professional agencies/organizations who have domain expertise in arranging/executing scholarship / relevant educational programmes through online Portals for Government of India/State Governments/Department/PSUs.
- 4.2 Bidder should have domain experience and knowledge about credentials and ranking of academic Institutions, colleges, universities etc in India.
- 4.3 Total turn-over of the bidder should be at least Rs. 50 (Fifty) Lakh each in the last three years.
- 4.4 Sub-contracted or subletting job in the name of the bidder will not be permitted. The agency which has the work order shall only be considered for this purpose and would execute the contract directly.
- 4.5 Bidder should be registered with the Registrar of Companies and should have a valid TIN/PAN/Service Tax number. Bidder should be based in Delhi or have a branch office in Delhi.

- 4.6 The following documents should be submitted along with the Technical Bids after due attestation by notary public:
 - 4.6.1 Proof of having organized similar work for Govt. of India Ministry or Department/State Governments/PSUs in last three years.
 - 4.6.2 Balance Sheet and Profit and Loss accounts of his/her firm/ company, for the last 3 years, i.e., 2019-20, 2020-21 and 2021-22.
 - 4.6.3 A certificate indicating the amount of Turnover from events managed for each year from the Chartered Accountant.
 - 4.6.4 Copy of Registration Certificate.
 - 4.6.5 Copy of Service tax/VAT registration certificate.
 - 4.6.6 Copies of Income-tax returns of last 3 years, i.e. 2019-20, 2020-21 and 2021-22 with PAN number.
 - 4.6.8 Organization Profile.
- 5. The Proposal shall consist of two parts:
 - (i) Technical Proposal T-I.
 - (ii) Financial Bid.
- **5.1 TECHNICAL PROPOSAL.** The Technical Proposal of the Bidder shall be submitted named T-I. The following documents from a Bidder shall constitute T-I:
 - 5.1.1 Letter of Expression of Interest along with the following documents as applicable:
 - (i) Certificate of Incorporation.

- (ii) Memorandum and Articles of Association.
- (iii) Shareholders' Agreement in case of Limited Company.
- (iv) Duly signed board resolution (s) authorizing the person signing the proposal to sign on behalf of the organization.
- (v) Company/organization registration certificate, valid Service Tax registration certificate and Permanent Account Number (PAN) issued by the Income Tax department. (Copy of each registration should be provided).
- (vi) Attested copy of the company's annual report. Bidder should submit an undertaking that he has not been black listed by any Govt. Dept. / Agency in India and that the services being quoted have not been rejected similarly.
- (vii) Signed and stamped copy of Annexure-I as acceptance to reflect that the Terms and Conditions indicated in the RFP are acceptable to them.
- (viii) All documents as mentioned in the eligibility criteria as indicated in Para 4.
- 5.1.2 The bidder should be CMMI -3 certified organization / ISO.
- 5.1.3 The applicants are expected to examine the RFP document in detail to submit their applications.

5.2 FINANCIAL PROPOSAL.

- 5.2.1 Bidders are advised to quote their rates in the BOQ.
- 5.2.2 There are four Heads/Components under which the bidders are quote there rates. These four components are as follows:-
 - (i) Promotion of the Scheme by various means.
 - (ii) Scrutiny of applications.
 - (iii) Facilitation in calculating the admissible scholarship amount and disbursement of scholarships to the institutions.
 - (iv) Monitoring the performance of the students, maintaining the feedback of the Scheme and preparing of data of students.
- 5.2.3 Payment for 'Promotion of the Scheme' will be paid on actual number of eligible applications received.
- 5.2.4 Payment for 'Scrutiny of applications' will be paid on actual number of applications scrutinized by the selected agency.
- 5.2.5 Payment for 'Facilitation in calculating the admissible scholarship amount and disbursement of scholarships to the institutions' will be paid on actual number of students to whom the scholarships are disbursed.
- 5.2.6 Payment for 'Monitoring the performance of the students, maintaining the feedback of the Scheme and preparing of data of students' will be paid on actual number of students studying in second and subsequent years of their course.

6. EARNEST MONEY DEPOSIT (EMD)/BID SECURITY.

Bidders are required to submit bid Security of Rs 1,00,000 (Earnest Money Deposit) along with Expression of Interest (Technical Bid) without which 'Financial Bid' will not be opened. The bid security shall be submitted in the form of Insurance Surety Bonds, Accounts Payee Demand Draft, Fixed Deposit Receipt, Banker's Cheque or Bank Guarantee from any of the Commercial Banks or payment online in an acceptable form, safeguarding the purchaser's interest in all respects in favour of Pay and Accounts Officer

(PAO), Ministry of External Affairs, payable at New Delhi. Bid securities of the unsuccessful bidders would be returned within **30 days of** finalization of Technical Evaluation Report. Relaxation/Exemption to MSMEs/Startups/SHGs against submission of EMDs will be granted as per extant government guidelines

7. PERFORMANCE BANK GUARANTEE.

- 7.1 Successful Tenderer will be required to submit a performance bank guarantee of 3% of the total contract value.
- 7.2 Performance Bank guarantee shall be made in the form of an Account Payee Demand Draft from a nationalized bank in favour of Pay & Accounts Officer, Ministry of External Affairs, New Delhi.
- 7.3 Performance bank guarantee shall be valid up to 60 days beyond the date of completion of all contractual obligations.
- 7.4 Performance Bank Guarantee shall be submitted by bidder through a nationalized bank to be given at the time of signing the final agreement.
- 7.5 If successful Tenderer fails to furnish the required Performance Bank Guarantee at the time of signing the agreement, the bidder will be barred from participating in future tenders of the Ministry.
- 7.6 No Interest shall be paid on the Performance Bank Guarantee.

8. OUTLINE OF BID PROCESS.

- 8.1 Applicants to download the detailed RFP from Ministry of External Affairs website (www.mea.gov.in) or Central Public Procurement Portal (Website: http://eprocure.gov.in/eprocure/app)
- 8.2 Eligible applicants to submit detailed Applications in accordance with the process defined in this RFP document.
- 8.3 The bids shall be submitted online only at Central Public Procurement Portal (Website: http://eprocure.gov.in/eprocure/app).

- 8.4 Manual Bids will not be accepted.
- 8.5 Bidders are required to submit bid Security of Rs 1,00,000 (Earnest Money Deposit) along with Expression of Interest (Technical Bid) without which 'Financial Bid' will not be opened.
- 8.6 No bid will be accepted after due date.
- 8.7 Technical Bids will be opened as per the time line for RFP. A panel of senior officers of MEA will evaluate and award the technical scores to bidders.
- 8.8 After evaluating the bids the technical scores would be declared.
- 8.9 The bidder who score 75 percent marks in technical evaluation will be retained for consideration and their bids would be kept and others who score below 75 percent marks would not be considered for further evaluation.
- 8.10 The shortlisted bidders may be present for opening of the financial bid.
- 8.11 MEA reserves the right not to follow-up this RFP and terminate the entire selection process without any obligation to any of the Agencies at any stage of the tender process.
- TERMS & CONDITIONS FOR SUBMITTING THE BIDS.
- 9.1 The bidders should submit the Technical and Financial Bids online only at Central Public Procurement Portal (Website: https://eprocure.gov.in/eprocure/app). Manual Bids will not be accepted.
- 9.2 The rates quoted shall be valid for a period of three years from the date of award of contract. The job shall be completed under the direct supervision and direction of the officer/officers deputed by MEA.

- 9.3 The bidder will not be allowed to alter or modify their bids after expiry of the deadline outlined in schedule of bid process (except as provided for in the RFP specifically).
- 9.4 The Financial Bid will be submitted mentioning the rates of different work and items and for extra additional items of work/ services, the rates may be quoted on pro-rata basis also. The rates quoted otherwise will not be accepted and the tender will be liable to be rejected.
- 9.5 The selected agency/ successful bidder will have to deposit Performance Security of 3% of the total value of the work by way of Bank Guarantee from a scheduled Commercial Bank in India (in a format prescribed by MEA before the issuance of work order.
- 9.6 The Performance Security shall remain valid up to 60 days beyond the date of completion of the contract or completion of all contractual obligations whichever is later. The Performance security of any additional amount required for any particular work will have to remain valid for a period of 150 days from the date of completion of work.
- 9.7 No excuse will be entertained for non-compliance of the job in the stipulated time frame. If at any stage it is found that the services provided by the contractor/bidder in any area is substandard or not up to the mark, the MEA will have full power/right to get the job completed from any other agency at the risk and responsibility of the contractor/bidder and deduct the expenditure so incurred from the bill and also forfeit the Performance Security money.
- 9.8 The rates quoted for the tender shall be comprehensive and shall include transportation charges, boarding and lodging, incidental expenses, service charges and all applicable taxes of the deployed manpower and delivery of any material, if required at the site/venue of the event.
- 9.9 Taxes on services, duties and other levies charged will be as per the prevailing rates at the time of award/execution of work in keeping with the relevant notification(s). If a Bidder mentions lower levies / duties /

taxes than the applicable ones, extra amount will be paid to the Bidder on production of bills. If higher percentages of levies / duties / taxes are quoted, only the applicable ones will be paid. All tax payments shall be as per the Agreement.

- 9.10 The responsibility of safety and security of the material/ manpower provided by the bidder will rest entirely on them. The MEA will not be responsible for any safety of the manpower and or loss or damage to the items.
- 9.11 The Bid shall be valid for consideration by the Bid Evaluation Committee for a period of 120 days from the last day of its submission. However a period of at least one month will be given for execution of work.
- 9.12 All rates would be in Indian Rupees.
- 9.13 The quantity mentioned in the RFP is as per the scope of work as on date. Quantities can be increased or decreased one week prior to the event or as the case may be.
- 9.14 The rates are to be quoted are to be inclusive of all taxes/VAT etc. VAT & service tax charged shall however as per rates prevalent at the time of award/ execution of work.

10. NON-CONFORMING BID.

Any bid may be construed as a non-conforming bid and ineligible for consideration if it does not comply with the requirements of this RFP. In addition, bids that appear to be "canned" presentations of promotional materials that do not follow the format requested in this RFP or do not appear to address the particular requirements of the task may also be disqualified.

11. AMENDMENT OF BIDDING DOCUMENTS.

At any time before the deadline for submission of bids, for any reason, whether at its own initiative or in response to a clarification requested by a

prospective Bidder, the Client may modify the bidding document by amendment. All prospective Bidders who have received the Bidding Document shall be notified of the amendment by uploading on the web site on https://eprocure.gov.in and (www.mea.gov.in) or will be notified in writing by e-mail and / or post, and all such amendments shall be binding on them. The bidders are requested to visit the said web site on regular basis for checking necessary updates, if required. MEA reserves the right to extend the deadline for the submission of bids.

12. DISQUALIFICATION.

The bid is liable to be disqualified in the following cases:

- 12.1 Bid not submitted in accordance with this document.
- 12.2 The bidder qualifies the bid with his own conditions.
- 12.3 Bid is received in incomplete form.
- 12.4 Bid is received after due date and time.
- 12.5 Bid is not accompanied by all requisite documents.
- 12.6 Information submitted in technical bid is found to be misrepresented, incorrect or false, accidentally, unwittingly or otherwise, at any time during the processing of the contract (no matter at what stage) or during the tenure of the contract including the extension period, if any;
- 12.7 In case the terms and conditions of the contract applicable to this invitation to tender are not acceptable to any bidder, he should clearly specify any deviation.
- 12.8 If any criminal proceeding(s) is/are pending in any court of law in India against any of the bidders.

13. EXTENSION OF PERIOD OF VALIDITY.

In exceptional circumstances, the Client may solicit the Bidder's consent to an extension of the period of validity. The request and the response thereto shall be made in writing. Extension of validity period by the bidder should be unconditional. The Bid Security provided shall also be suitably extended.

14. EVALUATION OF BIDS.

Evaluation of the bids will be done in two stages. Technical bids should be analyzed and evaluated by a Technical Evaluation Committee (TEC) constituted by the Ministry or Department. The TEC shall record in detail the reasons for acceptance or rejection of the technical proposals analyzed and evaluated by it. Technical bids of those bidders whose bids are declared eligible by the Committee will be evaluated. The required documents submitted online alongwith the technical bid will be examined and in case of any discrepancies the technical bid will be rejected and the financial bid will not be opened. After scrutiny of technical bids, the Ministry will shortlist the eligible bidders and inform them of the date and time of opening of Financial bids. The representative of the bidders attending to the tender opening process will have to submit a letter of authorization for this effect. In case the date of opening of tender is declared a holiday for unforeseen reason, the tender shall be opened at the same venue on the next working day. The decision of MEA in this regard shall be final and shall not be called upon to question under any circumstances.

14.1 TECHNICAL BID EVALUATION CRITERIA (TOTAL 100 MARKS).

SI. No.	Description of each evaluation criteria	Marks
(i)	Past Experience in work of similar nature:	
	Bidder with experience of above 10 years – 40 Marks Bidder with experience between 5> to <=10 years - 35 Marks	
	Bidder with experience between 3=> to <=5 years-30 Marks	

(ii)	Turn-over The organization should have a minimum annual turnover of over Rs. 50 lakh in each of its last 3 financial years. Bidder having annual turnover of Rs. 05> crore - 30 Marks		
	iii)	Number of staff employed on the payroll of the company;	30
	22.5 Marks for 10=> to <=15 employees (10 to 15)		
	25 Marks for 15> to <=20 employees (16 to 20)		
	30 Marks for 15> employees (21 or above)		

14.1.1 In case the bidder fails to submit documentary proof to substantiate above requirements, they will not be allotted proportionate marks in respect of that particular item/criteria, because of unavailable of requisite documentary proof.

Note:

(i) If, after evaluation of Technical Bids, it appears that certain items in scope of work need to be changed/modified/added substantially the Bidders may submit modified Financial Bids. However, the price of any item/service already included cannot be increased at this stage except for any other reasons which are beyond the scope of work originally envisaged in the RFP. If the bidder does not justify reasons for increasing the line items cost mentioned in the modified bid, the amount quoted in the original bid shall be considered as the bid amount of that item(s).

(ii) All bidders to submit duly signed and stamped copy of **Annexure-I** as acceptance to reflect that the Terms and Conditions indicated therein, are acceptable to them.

14.2 THE FINANCIAL PROPOSAL.

- 14.2.1 The financial proposal should be in the format given at 5.2.
- 14.2.2 Financial bids (Rates) of the technically qualified agencies scoring 75 out of 100 marks, and eligible as per Terms and Conditions, will only be opened.

14.3 Errors & Rectification Arithmetical errors will be rectified on the following basis:-

If there is discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words will prevail.

15. RIGHT TO ACCEPT AND REJECT ANY OR ALL APPLICATION(S).

- 15.1 Notwithstanding anything contained in this RFP, MEA reserves the right to accept or reject any Application and to cancel or withdraw the RFP process and reject all Applications in full or in part, at any time without any liability or any obligation for such acceptance, rejection or annulment, without assigning any reasons.
- 15.2 Ministry reserves the right to reject any Application, if at any time a material misrepresentation is made or uncovered. This would lead to the disqualification of the Application.

16. SELECTION OF THE BIDDER / AWARD OF CONTRACT.

FINANCIAL BIDS OF ONLY THOSE BIDDERS WHO MEET THE TECHNICAL CRITERIA WOULD BE OPENED. The Financial Bids of the technically

qualified bidders will be evaluated and the bidder who will quote the total lowest quote will be awarded the contract as per following conditions:-

- 16.1 The contract shall be awarded on the basis of the total lowest quotation including taxes.
- 16.2 If the case arises where the financial quote is "same", then the bidder scoring higher technical score would be awarded the contract.
- 16.3 During the period, no request for increase in quoted rates shall be accepted under any circumstances.

17. PERIOD.

The contract shall be valid for three years i.e. for the Academic Years 2022-23, 2023-24 and 2024-25 and would be renewed thereafter for one more yearon the same rate, terms and conditions and with mutual consent of both the parties.

18. USE OF EVENT DOCUMENTS AND INFORMATION.

- 18.1 Bidder shall not, without prior written consent from MEA, disclose the Contract, or any provision thereof, or any specification, plan, pattern, sample or information furnished by or on behalf of the MEA in connection therewith, to any person/agency in the performance of the Contract.
- 18.2 All project related documents issued by MEA, other than the Contract itself, shall remain the property of the MEA and shall be returned (in all copies) to the MEA on completion of the work under the Contract.
- 18.3 Copyright of all the plans/ documents lies with MEA and agency cannot exercise any rights on the documents. No information should be made public either directly or indirectly nor be allowed to be accessed by an unauthorized person.
- 18.4 Agency should ensure no unauthorized distribution of audio / video recording of the event / conferences should be shared to anyone.

18.5 In any circumstances, for breach of any conditions on developer's behalf, the Bidder or Agency will be fully responsible for the same and if required, MEA may levy penalty for the same and / or any legal or administrative action taken against the developer.

19. MAINTENANCE AND SECURITY.

The Agency would also solely be responsible for all his staff, whether permanent or temporary, and ensure their safety and security. MEA will not be, under any circumstances, responsible for this.

20. OTHER IMPORTANT GOVERNING PROVISIONS.

20.1 Change in Management Bidder Composition.

No change in the composition of a Bidder will be permitted by the Ministry during the Proposal Stage.

21. SCHEDULE OF PAYMENTS.

- 21.1 After tender is awarded to successful bidder and an agreement is signed between the Ministry of External Affairs and selected Partner Agency, the Ministry shall pay the successful vendor as per following depending upon the number of fresh eligible applications received, selected applications and depending upon the number of students in previous years batches. The said payment will be made on annual basis following submission of documentary proof of disbursement of scholarships to the students. Applicable taxes will also be paid.
- 21.1 Payment for 'Promotion of the Scheme' will be paid on actual number of eligible applications received.
- 21.2 Payment for 'Scrutiny of applications' will be paid on actual number of applications scrutinized by the selected agency.
- 21.3 Payment for 'Facilitation in calculating the admissible scholarship amount and disbursement of scholarships to the institutions' will be

paid on actual number of students to whom the scholarships are disbursed.

- 21.4 Payment for 'Monitoring the performance of the students, maintaining the feedback of the Scheme and preparing of data of students' will be paid on actual number of students studying in second and subsequent years of their course.
- 21.5 Pre-receipted bills shall be submitted in triplicate in the name of OIA-II Division, Ministry of External Affairs, New Delhi. Payment will be made in Indian Rupees only.
- 21.6 Bills so presented by Partner Agency shall be subject to verification by independent auditors appointed by MEA. The bills/claims shall be further subject to scrutiny of Pay and Accounts Office (PAO) of MEA. Every effort will be made by MEA for expeditious settlement of bills.
- 21.7 MEA shall not make any advance payment to Partner Agency.
- 21.8 Partner Agency shall submit their claim to MEA, along with their details and the Partner Agency shall receive payments by ECS transfer to their account number.

22. TERMINATION OF CONTRACT.

In case of failure in the performance of duties or breach of contract or performance not satisfactory to the client on the part of Partner Agency, the Ministry may terminate the contract. The Partner Agency shall be liable for every loss or consequential damage without prejudice to other modes of recovery, and the cost of such loss/damage shall be recovered from them as arrears, or by any other procedure established by Law.

In-case the scholarship programme is called off for any unforeseen circumstances and for any other reason, actual expenses incurred by the bid winning Agency till then, be reimbursed. No other payment will be made.

If the contract is terminated under the provisions of this clause, the Bank Guarantee may also be forfeited by the client.

23. PENALTY CLAUSE.

The penalty for non-completion of work/unsatisfactory works will not exceed 10% of the contract of such works and the total value of the penalty imposed will not exceed 20% of the Contract Value in addition to forfeiture of Performance Security.

24. FORCE MAJEURE.

Neither party shall be liable in respect of failure to fulfill its obligations, if the said failure is entirely due to acts of God, natural calamities or catastrophe, epidemics or disturbances or unforeseen event. Force Majeure shall not include (i) any event which is caused by the negligence or intentional action of a Party or by or of such Party's agents or employees, nor (ii) any event which a diligent Party could reasonably have been expected both to take into account at the time of being assigned the work, and avoid or overcome with utmost persistent effort in the carrying out of its obligations hereunder. Force Majeure shall not include insufficiency of funds or manpower or inability to make any payment required for execution of services under this Contract.

A Party affected by an event of Force Majeure shall immediately notify the other Party of such event, providing sufficient and satisfactory evidence of the nature and cause of such event, and shall similarly give written notice of the restoration of normal functions as soon as possible.

25. SEVERABILITY.

Each of the provisions in this RFP are severable and distinct from the others and if at any time one or more such provisions become invalid, illegal or unenforceable, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions of this RFP shall not in any way be affected or impaired thereby.

26. ARBITRATION.

If any difference arises concerning this RFP or Agreement, its interpretation on the payment to be made thereunder, the same shall be settled by mutual consultations and negotiations. If attempts for conciliation do not yield any results within a period of 30 days, either of the parties may make a request to the other party for submission of the dispute for decision by an arbitral tribunal consisting of a Sole Arbitrator which shall be in accordance with the provisions of Arbitration and Conciliation Act 1996, and by the mutual consent of both the parties. The arbitration proceedings shall take place at New Delhi and shall be conducted in English. The provisions of Arbitration and Conciliation Act, 1996 and the rules framed there under and in force, shall be applicable to such proceedings.

27. SUBMISSION OF BIDS IN RESPONSE TO THE RFP.

The Bid documents **will be submitted online** and shall be opened in front of the selected bidders on the prescribed date and time and the laid down criteria.

28. How to apply.

- 28.1 The bids shall be submitted online only at Central Public Procurement Portal (Website: http://eprocure.gov.in/eprocure/app)
- 28.2 Manual bids will not be accepted.

(Manika Jain)

Additional Secretary (OIA) Email: as.oia@mea.gov.in

Telephone: 011-24676210

Annexure-I

(To be Signed and submitted by bidders on their letter heads)

<u>Declaration regarding Acceptance of Terms & Conditions contained in the Tender Document</u>

To

Ministry of External Affairs (OIA-II Division) Akbar Bhawan, Satya Marg, Chanakyapuri New Delhi - 110021

Sir,

I have carefully gone through the Terms & Conditions contained in the Tender Document for the Selection of Partner for Ministry's Scholarship Programme for Diaspora Children (SPDC). I declare that all the provisions of this Tender Document contained in the RFP, are acceptable to my company/organisation.

2. I further certify that I am an authorised signatory of my company/organization, and am, therefore, competent to make this declaration.

Yours Truly,

Name:

Designation:

Company/Organisation:

Address:

MEMORANDUM OF AGREEMENT

Between

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (MEA) GOVERNMENT OF INDIA NEW DELHI

And
This Agreement is entered into and made on this day ofbetween:
The President of India acting through Ms. Manika Jain, additional Secretary (OIA), Ministry of External Affairs, Government of India with its office at Akbar Bhawan, New Delhi – 110 021 (hereinafter referred to as MEA , which expression shall, unless repugnant to the context, include its successors and assignes) of the first part.
And
AND WHEDEAS Covernment of India through "MEA" wants to formulate a

AND WHEREAS, Government of India through "MEA" wants to formulate a scholarship scheme for children of overseas Indians for their study in Indian higher and technical institutions, excluding medical institutions and also implement the Scheme so framed on turnkey basis.

Now, therefore, it is agreed between the parties as follows:

2. VALIDITY OF CONTRACT.

The contract shall be valid for three years i.e. for the Academic Years 2022-23, 2023-24 & 2024-25 and would be renewed thereafter for one more year on the same rate, terms and conditions and with mutual consent of both the parties.

3.	ROLE	OF	MEA.
v.	KOLL	01	TAT TOT YOU

- 3.1 Ministry shall notify a Nodal Person who will be coordinating and communicating with _____ with regard to smooth implementation of Scheme.
- 3.2 Ministry shall convey the approvals of Scheme including financial approval and plan of implementation.
- 3.3 Ministry shall notify to all concerned that _____ is the Nodal Coordinating Agency to facilitate the necessary assistance for implementation of the Scheme.
- 3.4 Ministry shall arrange for necessary dissemination of information in target countries through various Government channels including Indian Missions such as placing the Scheme on website of Ministry of External Affairs, Indian Missions, etc.
- 3.5 Ministry shall arrange for receipt of filled-in applications along with the testimonials from prospective candidates, by concerned official of Indian Missions in target countries and forward the same to _____ as per the time scheduled agreed.
- 3.6 Ministry shall provide required support for the necessary documentation/certification, etc. to facilitate expeditious clearances by other Government agencies.

4. ROLE OF NODAL AGENCY.

- 4.1 ______ is engaged as the Partner for Scholarship Programme for Diaspora Children (SPDC). The programme is an initiative of the Government of India and is being organized solely by MEA. It is essential that the operations of Partner and that of its associates, sponsors and partners are completely above board. Thus, Partner shall undertake to:
- 4.1.1 Use its best efforts to promote a positive image of SPDC.

- 4.1.2 Refrain from carrying out promotional activities without the consent of MEA and Intimate the same to the Ministry.
- 4.1.3 Refrain from engaging in any promotional activities that could be interpreted as improper and/or cause embarrassment to the Government or related agencies.
- 4.2 _____ shall notify a Nodal Person who will be coordinating and communicating with Ministry for smooth implementation of Scheme.
- 4.3 To remain local guardian of the students till the completion of their respective courses.
- 4.4 Partner, while observing economy in cost, shall ensure that quality of work is maintained as per the time schedule and as approved by MEA.

5. CODE OF CONDUCT.

- 5.1 is engaged as the Partner for Scholarship Programme for Diaspora Children. The programme is an initiative of the Government of India and is being organized solely by MEA. It is essential that the operations of Partner Agency and that of its associates, sponsors and other partners are completely above board. Thus, Partner Agency shall undertake to -
- 5.1.1 Use its best efforts to promote a positive image of SPDC.
- 5.1.2 Refrain from carrying out promotional activities without the consent of MEA.
- 5.1.3 Refrain from engaging in any promotional activities that could be interpreted as improper and/or cause embarrassment to the Government or related agencies.

6. SCHEDULE OF PAYMENT.

6.1 After tender is awarded to successful bidder and an agreement is signed between the Ministry of External Affairs and selected Partner Agency, the Ministry shall pay the successful vendor as per following depending upon the number of fresh eligible applications received, selected applications and depending upon the number of students in previous years batches. The said payment will be made on annual basis following submission of documentary proof of disbursement of scholarships to the students. Applicable taxes will also be paid.

- 6.2 Payment for 'Promotion of the Scheme' will be paid on actual number of eligible applications received.
- 6.3 Payment for 'Scrutiny of applications' will be paid on actual number of applications scrutinized by the selected agency.
- 6.4 Payment for 'Facilitation in calculating the admissible scholarship amount and disbursement of scholarships to the institutions' will be paid on actual number of students to whom the scholarships are disbursed.
- 6.5 Payment for 'Monitoring the performance of the students, maintaining the feedback of the Scheme and preparing of data of students' will be paid on actual number of students studying in second and subsequent years of their course.
- 6.6 Pre-receipted bills shall be submitted in triplicate in the name of OIA-II Division, Ministry of External Affairs, New Delhi. Payment will be made in Indian Rupees only.
- 6.7 Bills so presented by Partner Agency shall be subject to verification by independent auditors appointed by MEA. The bills/claims shall be further subject to scrutiny of Pay and Accounts Office (PAO) of MEA. Every effort will be made by MEA for expeditious settlement of bills.
- 6.8 MEA shall not make any advance payment to Partner Agency.

7. TERMINATION OF CONTRACT.

In case of failure in the performance of duties or premature termination or breach of contract on the part of Partner Agency, the Partner Agency shall be liable for every loss or consequential damage without prejudice to other modes of recovery, and the cost of such loss/damage shall be recovered from them as arrears of Land Revenue, or by any other procedure established by Law.

8. PRECAUTIONARY MEASURES.

Partner Agency, while observing economy in cost, shall ensure that quality of work is maintained as per the time schedule and as approved by MEA.

9. REPRESENTATION & WARRANTIES.

- 9.1 This Agreement is being executed herein on the basis of representation including that:-
- 9.1.1 The persons executing this Agreement on its behalf have expressed authority to do so, and, in so doing, bind the party thereto;
- 9.1.2 Performance of this Agreement does not violate any provision of law, charter, regulation, or any other governing authority of the Party; and
- 9.1.3 Performance of this Agreement has been duly authorized by all necessary corporate action and this Agreement is a valid and binding obligation of parties, enforceable in accordance with its terms.
- 9.1.4 The partner agency is responsible for compliance with all laws including the labour laws.
- 9.1.5 There is no employer and employee relationship between the MEA and the partner agency. In case of any litigation initiated by the employees of the Partner agency against MEA, Partner Agency agrees to indemnify the MEA.

10. NOTICES.

10.1 All notices to be given in writing by either Party shall be delivered by hand or sent by registered post to the respective Party's address mentioned hereunder:-

Manika Jain Additional Secretary (OIA) Ministry of External Affairs Akbar Bhawan, Room No. 916 New Delhi – 110 021

and

Mr......

Partner (Scholarship Programme for Diaspora Children (SPDC))

Or to such other address as either party shall at any time or from time to time furnish in writing to the other Party, for the purpose of notice hereunder.

13. PENALTY CLAUSE.

The penalty for non-completion of work/unsatisfactory works will not exceed 10% of the contract of such works and the total value of the penalty imposed will not exceed 20% of the Contract Value in addition to forfeiture of Performance Security.

11. SEVERABILITY.

Each of the provisions in this Agreement are severable and distinct from the others and if at any time one or more such provisions become invalid, illegal or unenforceable, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions of this Contract shall not in any way be affected or impaired thereby.

12. FORCE MAJEURE.

War, invasion, revolution, riots, lockouts, strikes, work shut down imposed by Government acts or legislature or other authorities, act of God, which has effect for more than 5 days and which shall directly or indirectly prevent completion of the project within time specified in the Agreement, shall be considered Force Majeure. Partners shall be granted necessary extension to cover the delay caused by Force Majeure without any financial repercussions or the MEA may issue revised guidelines or instructions.

13. ARBITRATION.

If any difference arises concerning this Agreement, its interpretation on the payment to be made thereunder, the same shall be settled by mutual consultations and negotiations. If attempts for conciliation do not yield any results within a period of 30 days, either of the parties may make a request to the other party for submission of the dispute for decision by an arbitral tribunal consisting of a Sole Arbitrator which shall be in accordance with the provisions of Arbitration and Conciliation Act 1996, and by the mutual consent of both the parties. The arbitration proceedings shall take place at New Delhi and shall be conducted in English. The provisions of Arbitration and Conciliation Act, 1996 and the rules framed there under and in force, shall be applicable to such proceedings.

14. AMENDMENTS.

- 14.1 RFP, or any subsequent changes thereof, shall form an integral part of this agreement.
- 14.2 Any amendment, during the tenure of the Contract, shall be effected after mutual discussion and agreement and shall be in writing.

15. ENTIRE AGREEMENT.

This Agreement supersedes all prior Agreements and undertakings, oral or written, between the parties hereto with respect to the subject matter hereto.

"IN WITNESS WHEREOF the Parties have signed this Agreement, on the date first above written".

Manika Jain Additional Secretary (OIA) Ministry of External Affairs Akbar Bhawan, Room No. 916 New Delhi – 110 021

For and on behalf of the President of India

In presence of	(1)	WITNESS	
	(2)	WITNESS	
Designation			
Address			
For and behalf of	······		
In presence of	(I)	WITNESS	
	(II)	WITNESS	

प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम हेतु नोडल एजेंसी के चयन प्रस्ताव (आरएफपी) के लिए अनुरोध



भारत सरकार विदेश मंत्रालय

अस्वीकरण

यह प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा अनुभवी कंपनियों/संगठनों से प्रवासी बच्चों हेतु छात्रवृत्ति कार्यक्रम के लिए एक नोडल एजेंसी के चयन के लिए जारी किया गया है।

यह आरएफपी न तो कोई करार है, न ही किसी पार्टी के लिए किसी भी तरह का काम करने का प्रस्ताव या निमंत्रण है। इस आरएफपी का उद्देश्य इच्छुक पार्टियों को उनके प्रस्ताव और बोली की तैयारी में सहायता करने के लिए जानकारी प्रदान करना है।

इस आरएफपी में जानकारी जबिक सद्भाव में तैयार की गई है, यह अभिप्रेत और व्यापक नहीं है, अत: स्वतंत्र रूप से सत्यापित की जानी है। न तो भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और न ही उसके अधिकारी अथवा कर्मचारी, कोई भी या उनका कोई सलाहकार का सटीकता, औचित्य या पूर्णता के लिए कोई भी दायित्व या उत्तरदायित्व नहीं होगा या किसी भी त्रुटि, चूक या गलत बयानों के लिए, लापरवाह या अन्यथा, प्रस्तावित घटना से संबंधित है, या किसी भी प्रतिनिधित्व या वारंटी, व्यक्त या निहित, इस आरएफपी में निहित जानकारी के संबंध में या जिस पर इस आरएफपी आधारित है या किसी भी लिखित या मौखिक जानकारी के संबंध में या किसी भी प्राप्तकर्ता या उनके व्यवसायिक सलाहकारों को उपलब्ध कराया जाना है और जहां तक कानून द्वारा अनुमति दी गई है और संबंधित पक्ष द्वारा धोखाधड़ी के गलत बयानी के मामले को छोड़कर, और इसलिए देयता स्पष्ट रूप से अस्वीकार की गई है।

इस आरएफपी में निहित जानकारी चयनात्मक है और विदेश मंत्रालय के विवेकाधिकार पर अद्यतन, विस्तारित, संशोधित और की जा सकती है। ऐसा नहीं है, और ऐसा अभिप्राय नहीं है कि प्राप्तकर्ता को प्रक्रिया में भागीदारी के लिए निर्णय लेने के लिए प्रयोजनों हेतु आवश्यक सभी जानकारी इसमें शामिल हैं। न तो विदेश मंत्रालय और न ही उसके किसी अधिकारी, कर्मचारी और न ही उसके किसी सलाहकार किसी भी पार्टी को किसी अतिरिक्त जानकारी की पहुंच प्रदान करेगें या इस आरएफपी में सूचना को अद्यतन करेगें या उसमें किसी भी स्पष्ट अशुद्धियों को सही करेगें। प्रत्येक पार्टी को इस आरएफपी में निहित सूचना का अपना विश्लेषण करना होगा, उसमें किसी भी अशुद्धियों को दूर करने के लिए और प्रस्तावित कार्यक्रम में अपनी जांच करने की सलाह दी जाती है, विनियामक व्यवस्था जो उस पर लागू होती है और सभी मामलों को परियोजना के लिए प्रासंगिक और कार्यक्रम से संबंधित

किसी भी समझौते या व्यवस्था करने के कानूनी, वित्तीय, विनियामक और कराधान परिणामों पर अपनी व्यवसायिक सलाह लेनी चाहिए।

इस आरएफपी में कार्यक्रम के संबंध में कुछ विवरण, अनुमान, लक्ष्य और पूर्वानुमान शामिल हैं। इस प्रकार के बयानों के अनुमानों, लक्ष्यों और पूर्वानुमानों में विदेश मंत्रालय के प्रबंधन, अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा की गई विभिन्न मान्यताओं को प्रतिबिंबित किया गया है, जो अनुमान (और आधार जानकारी जिस पर वे किए जाते हैं) सही साबित हो सकते हैं अथवा नहीं। पूर्वानुमानों या उन मान्यताओं के औचित्य के बारे में कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं दी जाती है जिन पर वे आधारित हो सकते हैं और इस आरएफपी में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस पर एक वादा, प्रतिनिधित्व या वारंटी के रूप में भरोसा किया जाना चाहिए।

परिभाषाएँ

करार	करार जो विदेश मंत्रालय और भागीदार (एसपीडीसी) के बीच हस्ताक्षरित होग मानक करार सभी विवरणों के साथ परिश्ष्टि-॥ के रूप में संलग्न है।	
आवेदक/बोलीदाता	एक ऐसी कंपनी/संगठन जिसे भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लिए छात्रवृ कार्यक्रमों के प्रबंधन/व्यवस्था करने का अनुभव है।	
आवेदन/बोली	आरएफपी दस्तावेज के अनुरूप योग्यता के लिए आवेदन तैयार किया गया है।	
विदेश मंत्रालय/ग्राहक	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार	
भागीदार	2 चरण की बोली प्रक्रिया के अनुसार एसपीडीसी योजना के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा चयनित सफल आवेदक/बोलीदाता ।	
शैक्षणिक वर्ष	12 दिन की अवधि, के मामले में: किसी भी वर्ष के जुलाई के पहले दिन से शुरू होने और अगले कैलेंडर वर्ष के जून के 31 [‡] दिन पर समाप्त।	
कार्य दिवस	राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर कोई भी कार्यदिवस (सोम-शुक्र)। इस कार्यक्रम उद्देश्य के लिए कार्यक्रम दिवसों को कार्य दिवस के रूप में माना जाएगा।	

प्रस्ताव के अनुरोध के लिए समय-सीमा

क्र.सं.	विनिर्देश	दिनांक	समय
(i)	केंद्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल (https://www.eprocure.gov.in) पर आरएफपी अपलोड करना	17.06.2022	1700 बजे
(ii)	आरएफपी डाउनलोड करना और बोली जमा करना	17.06.2022	1700 बजे
(iii)	निविदा/आरएफपी के बारे में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए बोली-पूर्व बैठक	27.06.2022	1500 बजे
(iv)	बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	09.07.2022	1700 बजे
(v)	तकनीकी बोली खोलने की तिथि	11.07.2022	1430 बजे
(vi)	वित्तीय बोली खोलने की तिथि	निर्धारित किया जाना	निर्धारित किया जाना है

संपर्क व्यक्ति

सुश्री मणिका जैन	टेलीफोन : 011-24676210,	
अपर सचिव	ईमेल : as.oia@ mea.gov.in	
(प्रवासी भारतीय मामले)		
श्री राजेंद्र कुमार,	टेलीफोन: 011-24197949	
अवर सचिव (प्रवासी भारतीय मामले –॥)	ईमेल: usoia2@mea.gov.in	
श्री अभिजीत मित्रा,	टेलीफोन : 011-24197956,	
अनुभाग अधिकारी (प्रवासी भारतीय मामले –॥)	ईमेल : so1oia2@ mea.gov.in	

बोली का अनुमानित मूल्य- 25 लाख रुपए बोली की वैधता- 06 माह

1. प्रस्तावना

भारत सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अपने स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने और भारत को उच्च अध्ययन केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) और अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के बच्चों की सहायता करने के लिए शैक्षणिक वर्ष 2006-2007 में प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम (एसपीडीसी) नामक एक योजना शुरू की। इसके बाद, 17 ईसीआर देशों (अफगानिस्तान, बहरीन, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सूडान, सीरिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन) में भारतीय कामगार के बच्चों को छात्रवृत्ति कार्यक्रम का विस्तार किया गया।

2. प्रयोजन

इस आरएफपी का उद्देश्य सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए उचित रूप से योग्य और पर्याप्त रूप से अनुभवी नोडल एजेंसी का चयन करना है, जो तीन अकादिमक वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 की अविध के लिए विदेश मंत्रालय के विदेशी मामलों के प्रभाग-2 (ओआईए-II) के साथ अनुबंध करेगी।

3. कार्य-क्षेत्र

मंत्रालय के नियंत्रण में और इसके सुझावानुसार, निम्नलिखित कार्यों सहित एसपीडीसी के कार्यान्वयन में अपनी सेवाएं प्रदान करना:

- 3.1 वेबसाइटों, अखबारों के विज्ञापन, ब्रोशर का वितरण, सोशल मीडिया, ई-मेल आदि के माध्यम से भारत और विदेश में एसपीडीसी का प्रचार।
- 3.2 ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की जांच करना, उनकी छानबीन करना और किमयों को इंगित करना यदि कोई हो और आवेदकों से, यदि आवश्यक हो तो, अनुपलबध दस्तावेजों/स्पष्टीकरणों की मांग करना।
- 3.3 ईसीआर देशों में भारतीय कामगारों के एनआरआई/पीआईओ/बच्चों की विभिन्न श्रेणियों के अनुसार आवेदनों का वर्गीकरण करना।
- 3.4 आवेदक के साथ संवाद करना और उनके प्रश्नों का उत्तर देना।

- 3.5 सभी आवेदनों, पूर्ण और अपूर्ण दोनों को और पात्र और अपात्र उम्मीदवारों के विवरण के साथ चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
- 3.6 स्वीकार्य छात्रवृत्ति राशि की गणना करना और संस्थानों को वितरित करना।
- 3.7 छात्रों के निष्पादन की निगरानी करना।
- 3.8 छात्रवृत्ति प्रदान करने वालों के लिए योजना के बारे में संबंधित भारतीय मिशनों/पोस्टों, छात्रों के अभिभावकों, विश्वविद्यालयों आदि से प्रतिपुष्टि प्राप्त करना।
- 3.9 नियमित रूप से छात्रवृत्ति का पूरा लेखा-जोखा, वितरित की गई राशि और उपलब्ध शेष राशि त्रैमासिक आधार पर मंत्रालय को नियमित रूप से सूचित करना।
- 3.10 आवेदकों/संस्थानों को छात्रवृत्ति से संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज जारी करने में मंत्रालय को सुविधा प्रदान करना।
- 3.11 सामग्री सहित एसपीडीसी पोर्टल में किए जाने वाले किसी भी परिवर्तन को चिन्हित करना।
- 3.12 शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के बाद से इस योजना के अंतर्गत पहले से चयनित मौजूदा बैचों को छात्रवृत्ति वितरित करने के लिए शैक्षिक संस्थानों और उम्मीदवारों के साथ समन्वय स्थापित करना।

4. पात्रता मानदंड

- 4.1 व्यवसायिक एजेंसियों/संगठनों को भारत सरकार/राज्य सरकार/सार्वजानिक क्षेत्र उपक्रम के लिए छात्रवृत्ति शैक्षणिक कार्यक्रम की व्यवस्था/निष्पादन करने का अनुभव होना चाहिए।
- 4.2 बोलीदाता के पास भारत में अकादिमक संस्थानों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों आदि की साख और रैंकिंग के बारे में डोमेन अनुभव और ज्ञान होना चाहिए।

- 4.3 बोलीदाता की विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान कंपनी की निवल आय न्यूनतम 50 (पचास) लाख रुपए होनी चाहिए।
- 4.4 बोलीदाता के नाम पर उप-अनुबंध देना या कार्य का अनुबंध देने की अनुमित नहीं दी जाएगी। जिस एजेंसी के पास कार्य-आदेश होगा, उस पर केवल इसी उद्देश्य से विचार किया जाएगा और वह सीधे अनुबंध का निष्पादन करेगी।
- 4.5 बोलीदाता को कंपनी पंजीयक के साथ पंजीकृत होना चाहिए और उसके पास वैध टिन/पैन/सर्विस टैक्स नंबर होना चाहिए। बोलीदाता को दिल्ली में अवस्थित होना चाहिए दिल्ली में उसका एक शाखा कार्यालय होना चाहिए।
- 4.6 तकनीकी बोलियों के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए जो नोटरी पब्लिक द्वारा साक्ष्यांकित हों,
 - 4.6.1 पिछले तीन वर्षों में भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग/राज्य सरकारों/सार्वजनिक उपक्रमों के लिए इसी प्रकार के किए गए कार्य का प्रमाण।
 - 4.6.2 फर्म/कंपनी का पिछले 3 वर्षों अर्थात, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के तुलन-पत्र और लाभ और हानि लेखे।
 - 4.6.3 सनदी लेखाकार से प्रत्येक वर्ष के लिए प्रबंधित कार्यक्रमों के कारोबार की राशि का प्रमाण-पत्र।
 - 4.4.4 पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति।
 - 4.5.5 सर्विस टैक्स/वैट पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति।
 - 4.6.6 पैन नंबर के साथ पिछले 3 वर्षों अर्थात यानी 2019-20, 2020-21 और 2021-22 की आयकर विवरणियों की प्रतियां।

4.6.7 संगठन प्रोफाइल।

प्रस्ताव के दो भाग होंगे:

- (i) तकनीकी प्रस्ताव टी-1
- (ii) वित्तीय बोली
- 5.1 <u>तकनीकी प्रस्ताव</u> बोली लगाने वाले का तकनीकी प्रस्ताव टी-1 नाम से प्रस्तुत किया जाएगा। एक बोलीदाता से निम्नलिखित दस्तावेज टी-1 का गठन करेंगे:
 - 5.1.1 निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ यथा लागू रूचि अभिव्यक्ति-पत्र:
 - (i) निगमन का प्रमाण-पत्र.
 - (ii) संगम ज्ञापन और संस्था के बहिर्नियम
 - (iii) कंपनी के मामले में शेयरधारकों का करार।
 - (iv) संगठन की ओर से हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को अधिकृत करने का विधिवत हस्ताक्षरित बोर्ड संकल्प।
 - (v) आयकर विभाग द्वारा जारी कंपनी/संगठन पंजीकरण प्रमाण पत्र, वैध सेवा कर पंजीकरण प्रमाण पत्र और स्थायी खाता संख्या (पैन) । (प्रत्येक पंजीकरण की प्रति उपलब्ध कराई जाए)।
 - (vi) कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की सत्यापित प्रति। बोलीदाता को यह वचन प्रस्तुत करना होगा कि उसे भारत में किसी भी सरकारी विभाग/एजेंसी द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है और उद्धृत की जा रही सेवाओं को इसी प्रकार अस्वीकार नहीं किया गया है।

- (vii) परिश्टि-1 की हस्ताक्षरित और मुहर लगी प्रति यह इंगित करने के लिए कि आरएफपी के नियम और शर्तें उन्हें स्वीकार्य हैं।
- (viii) अनुच्छेद 4 में दर्शाए गए पात्रता मानदंडों में उल्लिखित सभी दस्तावेज।
- 5.1.2 बोलीदाता को सीएमएमआई-3 प्रमाणित संगठन/आईएसओ होना चाहिए।
- 5.1.3 आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आवेदन जमा करने के लिए आरएफपी दस्तावेज की विस्तार से जांच करें।
- 5.2 वित्तीय प्रस्ताव।
- 5.2.1 बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बीओक्यू में अपनी दरें उद्धृत करें।
- 5.2.2 चार शीर्ष/घटक हैं जिनके तहत बोलीदाताओं को अपनी दरें उद्धृत करनी हैं। ये चार घटक इस प्रकार हैं:-
- (i) विभिन्न माध्यमों से योजना का प्रचार।
- (ii) आवेदनों की जांच।
- (iii) अनुमत्य छात्रवृत्ति राशि की गणना और संस्थानों को छात्रवृत्ति के वितरण में सुविधा प्रदान करना।
- (iv) छात्रों के प्रदर्शन की निगरानी करना, योजना संबंधी प्रतिक्रिया का रखरखाव करना और छात्रों का डेटा तैयार करना।
- 5.2.3 'योजना के प्रचार' के लिए भुगतान प्राप्त अर्हक आवेदनों की वास्तविक संख्या के आधार पर किया जाएगा।
- 5.2.4 'आवेदनों की जांच' के लिए भुगतान चयनित एजेंसी द्वारा संवीक्षा किए गए आवेदनों की वास्तविक संख्या के अनुसार किया जाएगा।

5.2.5 'अनुमत्य छात्रवृत्ति राशि की गणना और संस्थानों को छात्रवृत्ति के वितरण में सुविधा प्रदान करने' के लिए भुगतान उन छात्रों की वास्तविक संख्या के अनुसार किया जाएगा, जिन्हें छात्रवृत्तियां वितरित की गई हैं।

5.2.6 'छात्रों के प्रदर्शन की निगरानी, योजना संबंधी प्रतिक्रिया के रखरखाव और छात्रों का डेटा तैयार करने' के लिए भुगतान उनके पाठ्यक्रम के दूसरे और बाद के वर्षों में अध्ययन कर रहे छात्रों की वास्तविक संख्या के अनुसार किया जाएगा।

6. बयाना राशि जमा (ईएमडी)/बोली प्रतिभूति।

बोलीदाताओं को अभिरुचि की अभिव्यक्ति (तकनीकी बोली) के साथ 1,00,000 रुपये (बयाना जमा राशि) की बोली प्रतिभूति जमा करनी होगी, जिसके न होने पर 'वित्तीय बोली' नहीं खोली जाएगी। बोली प्रतिभूति सभी प्रकार से क्रेता के हितों की रक्षा करते हुए बीमा जमानत बांड, खाता आदाता डिमांड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद, किसी भी वाणिज्यिक बैंक से बैंकर चेक या बैंक गारंटी या स्वीकार्य रूप में ऑनलाइन भुगतान के रूप में प्रस्तुत की जाएगी जो भुगतान एवं लेखा अधिकारी (पीएओ), विदेश मंत्रालय के पक्ष में, नई दिल्ली में देय होगी। असफल बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूतियां तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के 30 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएंगी। ईएमडी जमा करने के लिए एमएसएमई/स्टार्टअप/एसएचजी को मौजूदा सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार छूट/रियायत दी जाएगी।

7. निष्पादन बैंक प्रतिभूति

- 7.1 सफल बोलीदाता को, अनुबंध के कुल मूल्य की 3% निष्पादन बैंक प्रतिभूति जमा करनी होगी।
- 7.2 निष्पादन बैंक प्रतिभूति वेतन और लेखा अधिकारी, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में दी जाएगी।
- 7.3 निष्पादन बैंक प्रतिभूति सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने की तारीख से परे 60 दिनों तक मान्य होगी।
- 7.4 बोलीदाता द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी अंतिम करार पर हस्ताक्षर करने के समय राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी।

- 7.5 यदि सफल निविदाकर्ता समझौते पर हस्ताक्षर करते समय आवश्यक निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो बोलीदाता को मंत्रालय की भावी निविदाओं में भाग लेने से रोक दिया जाएगा ।
- 7.6 निष्पादन बैंक गारंटी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

बोली प्रक्रिया की रूपरेखा

- 8.1 आवेदक विदेश मंत्रालय की वेबसाइट (<u>www.mea.gov.in</u>) या केंद्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल (वेबसाइट:http://eprocure.gov.in/eprocure/app) से विस्तृत आरएफपी डाउनलोड करें।
- 8.2 पात्र आवेदक इस आरएफपी दस्तावेज में परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार विस्तृत आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
- 8.3 बोलियां केवल केंद्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल पर ऑनलाइन जमा की जाएंगी (वेबसाइट: http://eprocure.gov.in/eprocure/app).
- 8.4 मैनुअल बोलियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।
- 8.5 बोलीदाताओं को अभिरुचि की अभिव्यक्ति (तकनीकी बोली) के साथ 1,00,000 रुपये (बयाना जमा राशि) की बोली प्रतिभूति जमा करनी होगी, जिसके न होने पर 'वित्तीय बोली' नहीं खोली जाएगी।
- 8.6 नियत तिथि के बाद कोई बोली स्वीकार नहीं की जाएगी।
- 8.7 आरएफपी के लिए समय-सीमा के अनुसार तकनीकी बोली खोली जाएगी। विदेश मंत्रालय के विरष्ठ अधिकारियों का एक पैनल बोली लगाने वालों का मूल्यांकन करेगा और उन्हें तकनीकी अंक प्रदान करेगा
- 8.8 बोलियों का मूल्यांकन करने के बाद तकनीकी अंक घोषित किए जाएंगे।

- 8.9 तकनीकी मूल्यांकन में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले बोलीदाता पर विचार किया जाएगा और उनकी बोलियां रखी जाएंगी और 75 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अन्य व्यक्तियों पर आगे के मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- 8.10 शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाता वित्तीय बोली खोलने के लिए उपस्थित हो सकते हैं।
- 8.11 विदेश मंत्रालय के पास इस आरएफपी का पालन नहीं करने और निविदा प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी एजेंसी के लिए किसी भी दायित्व के बिना पूरी चयन प्रक्रिया को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

बोलियां जमा करने के लिए नियम और शतें।

- 9.1 बोलीदाताओं को केवल केंद्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल पर तकनीकी और वित्तीय बोलियां ऑनलाइन जमा करनी चाहिए (वेबसाइट: https://eprocure.gov.in/eprocure/app). मैनुअल बोलियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।
- 9.2 उद्धृत दरें अनुबंध देने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए मान्य होंगी। यह कार्य विदेश मंत्रालय द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी/अधिकारियों की सीधी देखरेख और निर्देश के तहत पूरा किया जाएगा।
- 9.3 बोली प्रक्रिया की अनुसूची में उल्लिखित समय सीमा की समाप्ति के बाद बोलीदाता को अपनी बोलियों को बदलने या संशोधित करने की अनुमित नहीं दी जाएगी (आरएफपी में विशेष रूप से उल्लिखित के आलावा)।
- 9.4 वित्तीय बोली विभिन्न कार्य और मदों की दरों का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत की जाएगी और कार्य/सेवाओं की अतिरिक्त अतिरिक्त मदों के लिए दरों को आनुपातिक आधार पर भी उद्धृत किया जा सकता है। अन्यथा उद्धृत दरों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और निविदा अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी होगी।
- 9.5 चयनित एजेंसी/सफल बोलीदाता को भारत में किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी के माध्यम से (कार्य आदेश जारी करने से पहले विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में) द्वारा कार्य के कुल मूल्य का 3% की प्रदर्शन सुरक्षा जमा करनी होगी।

- 9.6 निष्पादन प्रतिभूति अनुबंध के पूरा होने या सभी संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने से 6 महीने तक मान्य रहेगी जो भी बाद में हो। किसी भी विशेष कार्य के लिए आवश्यक किसी भी अतिरिक्त राशि की निष्पादन प्रतिभूति कार्य पूरा होने की तिथि से 150 दिनों की अविध के लिए वैध होनी चाहिए।
- 9.7 तय समय सीमा में कार्य का अनुपालन न करने के किसी बहाने को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि किसी भी क्षेत्र में ठेकेदार/बोलीदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं घटिया हैं या मानक के अनुरूप नहीं हैं, तो विदेश मंत्रालय के पास ठेकेदार/बोलीदाता के जोखिम और उत्तरदायित्व पर किसी अन्य एजेंसी से कार्य पूरा करने और बिल से किए गए व्यय में कटौती करने और निष्पादन प्रतिभूति राशि को भी जब्त करने का पूर्ण अधिकार/अधिकार होगा।
- 9.8 निविदा के लिए उद्धृत दरें व्यापक होंगी और इसमें परिवहन शुल्क, भोजन और आवास, आकस्मिक खर्च, सेवा शुल्क और तैनात जनशक्ति के सभी लागू कर और किसी भी सामग्री के वितरण, यदि आवश्यक हो तो घटना स्थल/स्थल पर शामिल होंगे।
- 9.9 सेवाओं, शुल्कों और अन्य लेवी पर कर संबंधित अधिसूचना (एस) को ध्यान में रखते हुए कार्य के ठेके/निष्पादन के समय प्रचलित दरों के अनुसार होगें। यदि कोई बोलीदाता लागू लोगों की तुलना में कम लेवी/शुल्क/करों का उल्लेख करता है, तो बिल देने पर बोलीदाता को अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा। यदि लेवी/शुल्क/करों के उच्च प्रतिशत उद्धृत किए जाते हैं, तो केवल लागू लोगों का भुगतान किया जाएगा। सभी कर भुगतान समझौते के अनुसार होंगे।
- 9.10 प्रदर्शनी स्थल पर बोलीदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सामग्री/जनशक्ति की सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से उसकी होगी। विदेश मंत्रालय जनशक्ति की किसी भी सुरक्षा और वस्तुओं के नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- 9.11 बोली मूल्यांकन समिति, बोली प्रस्तुत करने के अंतिम दिन से 120 दिनों की अवधि तक विचार के लिए मान्य होगी। हालांकि, कार्य-निष्पादन के लिए कम से कम एक महीने की अवधि दी जाएगी।
- 9.12 सभी दरें भारतीय रुपये में होंगी।

- 9.13 आरएफपी में बताई गई मात्रा आज की तारीख में काम के दायरे के अनुसार है। कार्यक्रम के एक सप्ताह पूर्व तक मात्रा में वृद्धि या कमी की जा सकती है, जैसी भी स्थिति हो।
- 9.14 दरों का उल्लेख किया जाना है जिसमें सभी कर/वैट आदि शामिल हैं। हालांकि, कार्य के ठेके/निष्पादन के समय प्रचलित दरों के अनुसार वैट और सेवा-कर प्रभारित किया जाएगा।

10. <u>गैर-अनुरूप बोली।</u>

किसी भी बोली को गैर-अनुरूप बोली के रूप में माना जा सकता है और यदि वह इस आरएफपी की आवश्यकताओं का पालन नहीं करता है तो विचार के लिए अयोग्य हो सकती है। इसके अलावा, ऐसी बोलियां जो प्रचार सामग्रियों की "डिब्बाबंद" प्रस्तुतियां देती हैं जो इस आरएफपी में अनुरोध किए गए प्रारूप का पालन नहीं करती हैं या कार्य की विशेष आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए प्रकट नहीं होती हैं, उन्हें अयोग्य भी उहराया जा सकता है।

11. बोली दस्तावेजों में संशोधन।

बोलियां प्रस्तुत करने की समय सीमा से पहले किसी भी समय, किसी भी कारण से, चाहे वह अपनी पहल पर हो या संभावित बोलीदाता द्वारा अनुरोध किए गए स्पष्टीकरण के प्रत्युत्तर में, ग्राहक संशोधन द्वारा बोली दस्तावेज को संशोधित कर सकता है। बोली लगाने वाले सभी संभावित बोलीदाताओं को वेबसाइट https://eprocure.gov.in and (www.mea.gov.in) पर अपलोड करके संशोधन की सूचना दी जाएगी अथवा ई-मेल और/या पोस्ट द्वारा लिखित रूप में अधिसूचित किया जाएगा, और ऐसे सभी संशोधन उन पर बाध्यकारी होंगे। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि यदि आवश्यक अपडेट की जांच की जाए तो नियमित आधार पर उक्त वेबसाइट देखें। विदेश मंत्रालय का बोलियां जमा करने की समय सीमा बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है।

12. अयोग्यता।

बोली निम्नलिखित मामलों में अयोग्य घोषित होने के लिए उत्तरदायी है:

- 12.1 इस दस्तावेज़ के अनुसार प्रस्तुत नहीं की गई बोली
- 12.2 बोलीदाता अपनी शर्तों के साथ बोली देता है।
- 12.3 बोली अधूरे प्रपत्र में प्राप्त हुई है।
- 12.4 नियत तिथि और समय के बाद बोली प्राप्त होती है।
- 12.5 बोली के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज नहीं है।
- 12.6 तकनीकी बोली में प्रस्तुत की गई जानकारी अनुबंध के प्रसंस्करण के दौरान किसी भी समय (किसी भी स्तर पर) या विस्तार अविध सिहत अनुबंध के कार्यकाल के दौरान, यदि कोई हो; गलत तरीके से, असत्य या गलत, गलती से, अनजाने या अन्यथा पाई जाती है।
- 12.7 यदि निविदा के लिए इस निमंत्रण पर लागू अनुबंध के नियम और शर्तें किसी भी बोलीदाता को स्वीकार्य नहीं हैं, तो उसे स्पष्ट रूप से किसी भी विचलन को निर्दिष्ट करना चाहिए।
- 12.8 यदि कोई आपराधिक कार्यवाही भारत में किसी भी बोली लगाने वाले के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में लंबित है।

13. वैधता की अवधि का विस्तार।

असाधारण परिस्थितियों में, ग्राहक वैधता की अविध के विस्तार के लिए बोलीदाता की सहमित मांग सकता है। अनुरोध और उस पर प्रतिक्रिया लिखित में की जाएगी। बोलीदाता द्वारा वैधता अविध का विस्तार बिना शर्त होना चाहिए। प्रदान की गई बोली प्रतिभूति को भी उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाएगा।

14. बोलियों का मूल्यांकन।

बोलियों का मूल्यांकन दो चरणों में किया जाएगा। मंत्रालय या विभाग द्वारा गठित तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) द्वारा तकनीकी बोलियों का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाएगा। टीईसी इसके द्वारा विश्लेषण और मूल्यांकन किए गए तकनीकी प्रस्तावों की स्वीकृति या अस्वीकृति के कारणों को विस्तार से रिकॉर्ड करेगा। उन

बोलीदाताओं की तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन किया जाएगा जिनकी बोलियों को समिति द्वारा पात्र घोषित किया जाता है। तकनीकी बोली के साथ ऑनलाइन जमा किए गए आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी और किसी भी विसंगतियों के मामले में तकनीकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा और वित्तीय बोली नहीं खोली जाएगी। तकनीकी बोलियों की जांच के बाद मंत्रालय पात्र बोलीदाताओं को शॉर्टलिस्ट करेगा और उन्हें वित्तीय बोलियां खोलने की तारीख और समय की जानकारी देगा। निवदा खोलने की प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोलीदाताओं के प्रतिनिधि को इस आशय के लिए प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि निवदा खोलने की तिथि अप्रत्याशित कारण से अवकाश घोषित की जाती है, तो निवदा अगले कार्य दिवस पर उसी स्थान पर खोली जाएगी। इस संबंध में विदेश मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी परिस्थिति में कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

14.1 तकनीकी बोली मूल्यांकन मापदंड (कुल 100 अंक)।

क्र.सं.	प्रत्येक मूल्यांकन मानदंड का विवरण	अंक
(i)	समान प्रकृति के काम में पिछला अनुभवः	40 .
	10> वर्ष और अधिक के अनुभव वाले बोलीदाता— 40 अंक	
	5> से <= 10 वर्ष के बीच अनुभव वाले बोलीदाता— 30 अंक	
	3> से <= 5 वर्ष के बीच अनुभव वाले बोलीदाता— 20 अंक	
(ii)	निवल संपत्ति	30
	संगठन की विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान कंपनी की निवल आय न्यूनतम 50	
	(पचास) लाख होनी चाहिए।	
	5> करोड़ के कारोबार वाले बोलीदाता – 30 अंक	
	02> से <= 05 करोड़ के बीच कारोबार वाले बोलीदाता — 20 अंक	
	50 लाख > से <= 02 करोड़ के बीच कारोबार वाले बोलीदाता – 10 अंक	
(iii)	कंपनी के पेरोल पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या;	30

10= > से <= 15 कर्मचारियों (10 से 15) के लिए 22.5 अंक

15> से <= 20 कर्मचारियों (16 से 20) के लिए 25 अंक

15> कर्मचारियों (21 या उससे अधिक) के लिए 30 अंक

14.1.1 यदि बोलीदाता उपरोक्त आवश्यकताओं को सिद्ध करने के लिए दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो अपेक्षित दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध न होने के कारण उन्हें उस विशेष मद/मानदंडों के संबंध में आनुपातिक अंक आवंटित नहीं किए जाएंगे।

टिप्पणी:

- (i) यदि तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य के दायरे में कुछ मदों को बदलने/संशोधित/जोड़े जाने की आवश्यकता है तो बोलीदाता संशोधित वित्तीय बोलियां प्रस्तुत कर सकते हैं। तथापि, पहले से शामिल किसी भी मद/सेवा की कीमत इस स्तर पर नहीं बढ़ाई जा सकती है सिवाय अन्य कारणों से जो मूल रूप से आरएफपी में परिकल्पित कार्य के दायरे से बाहर हैं। यदि बोलीदाता संशोधित बोली में उल्लिखित संगत मद लागत को बढ़ाने के कारणों को न्यायोचित नहीं ठहराता है, तो मूल बोली में उद्धृत राशि को उस मद की बोली राशि के रूप में माना जाएगा।
- (ii) सभी बोलीदाताओं को स्वीकृति के रूप में परिश्टि-1 की विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी प्रति प्रस्तुत करनी होगी कि उसमें इंगित नियम और शर्तें उन्हें स्वीकार्य हैं।

14.2 वित्तीय प्रस्ताव

- 14.2.1 वित्तीय प्रस्ताव 5.2 पर दिए गए प्रारूप में होना चाहिए।
- 14.2.2 तकनीकी रूप से योग्य एजेंसियों की वित्तीय बोलियां (दरें) 100 अंकों में से 75 स्कोरिंग, और नियम और शर्तों के अनुसार पात्र, केवल खोली जाएगीं।

14.3 त्रुटियों और सुधार त्रुटियों को निम्नलिखित आधार पर सुधारा जाएगा:-

यदि इकाई मूल्य और कुल मूल्य के बीच इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करके प्राप्त की जाने वाली कुल कीमत के बीच विसंगति है, तो इकाई मूल्य मान्य होगा और कुल मूल्य को ठीक किया जाएगा। यदि शब्दों और आंकड़ों के बीच विसंगति है, तो शब्दों में राशि मान्य होगी।

15. किसी भी या सभी आवेदन स्वीकार करने और अस्वीकार करने का अधिकार।

- 15.1 इस आरएफपी में निहित कुछ भी होने के बावजूद, विदेश मंत्रालय का किसी भी आवेदन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने और आरएफपी प्रक्रिया को रद्द करने या वापस लेने और किसी भी समय किसी भी दायित्व या ऐसी स्वीकृति, अस्वीकृति या विलोपन के लिए किसी भी दायित्व के बिना, किसी भी कारण को निर्दिष्ट किए बिना सभी आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 15.2 यदि किसी भी समय महत्वपूर्ण गलत बयानी की जाती है तो मंत्रालय का किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। इससे आवेदन अयोग्य हो जाएगा।

16. बोलीदाता का चयन/अनुबंध देना।

केवल उन्हीं बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी जो तकनीकी मानदंडों को पूरा करते हैं। तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन किया जाएगा और जो बोलीदाता न्यूनतम दर उद्धृत करेगा, उसे निम्नलिखित शर्तों के अनुसार अनुबंध दिया जाएगा:-

- 16.1 संविदा करों सहित कुल न्यूनतम दर के आधार पर प्रदान की जाएगी।
- 16.2 यदि ऐसा मामला होता है जहां वित्तीय उद्धरण "एक ही" है, तो उच तकनीकी स्कोर प्राप्त करने वाले बोलीदाता को अनुबंध दिया जाएगा।
- 16.3 इस अविध के दौरान, उद्भृत दरों में वृद्धि के लिए किसी भी पिरिस्थिति में कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

17. अवधि।

यह अनुबंध तीन वर्षों के लिए मान्य होगा अर्थात शैक्षणिक वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए और इसके बाद एक और वर्ष के लिए एक ही दर, नियम और शर्तों पर और दोनों पक्षों की आपसी सहमित से नवीनीकृत किया जाएगा।

18. कार्यक्रम दस्तावेजों और जानकारी का उपयोग।

- 18.1 बोलीदाता विदेश मंत्रालय से पूर्व लिखित सहमित के बिना, अनुबंध प्रकटन, या उसके किसी प्रावधान, या किसी भी विनिर्देश, योजना, पैटर्न, नमूना या उसके संबंध में विदेश मंत्रालय की ओर से प्रस्तुत जानकारी, का अनुबंध के निष्पादन में किसी भी व्यक्ति/एजेंसी को प्रकटन नहीं करेगा।
- 18.2 अनुबंध के अलावा विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सभी परियोजना संबंधी दस्तावेज, विदेश मंत्रालय की संपत्ति बने रहेंगे और अनुबंध के अंतर्गत काम पूरा होने पर विदेश मंत्रालय को (सभी प्रतियों में) वापस कर दिए जाएंगे।
- 18.3 सभी योजनाओं/दस्तावेजों का कॉपीराइट विदेश मंत्रालय के पास है और एजेंसी दस्तावेजों पर किसी भी अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती। किसी भी सूचना को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक नहीं किया जाएगा और नहीं किसी अनिधकृत व्यक्ति द्वारा अभिगम्यता की अनुमित दी जाएगी।
- 18.4 एजेंसी को यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यक्रम/सम्मेलनों की ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग का अनधिकृत वितरण किसी से भी साझा न की जाए।
- 18.5 किसी भी परिस्थिति में, डेवलपर की ओर से किसी भी शर्त के उल्लंघन के लिए, बोलीदाता या एजेंसी इसके लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगी और यदि आवश्यक हो, तो विदेश मंत्रालय डेवलपर के विरूद्ध की गई कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई के लिए जुर्माना लगा सकता है।

19. रखरखाव और सुरक्षा।

एजेंसी ही पूरी तरह से अपने सभी कर्मचारियों, चाहे स्थाई या अस्थाई, के लिए उत्तरदायी होगी और उनकी सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करेगी हैं। विदेश मंत्रालय किसी भी परिस्थिति में इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

20. अन्य महत्वपूर्ण शासी प्रावधान।

20.1 प्रबंधन बोलीदाता संरचना में परिवर्तन।

प्रस्ताव चरण के दौरान मंत्रालय द्वारा बोलीदाता की संरचना में कोई परिवर्तन करने की अनुमित नहीं दी जाएगी।

21. भुगतान की अनुसूची।

- 21.1 सफल बोलीदाता को निविदा दिए जाने और विदेश मंत्रालय और चयनित भागीदार एजेंसी के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद, मंत्रालय भागीदार एजेंसी द्वारा प्रस्तुत उद्धरण के अनुसार और अधिकतम 150 पात्र आवेदनों के अधीन प्राप्त नए पात्र आवेदनों की संख्या के आधार पर और पिछले वर्षों के बैचों में छात्रों की संख्या के आधार पर सफल विक्रेता का भुगतान करेगा। उक्त भुगतान छात्रों को छात्रवृत्तियों के वितरण के दस्तावेजी प्रमाण के प्रस्तुत किए जाने पर वार्षिक आधार पर किया जाएगा। यथा लागू करों का भी भुगतान किया जाएगा।
- 21.2 'योजना के प्रचार' के लिए भुगतान प्राप्त अर्हक आवेदनों की वास्तविक संख्या के आधार पर किया जाएगा।
- 21.3 'आवेदनों की जांच' के लिए भुगतान चयनित एजेंसी द्वारा संवीक्षा किए गए आवेदनों की वास्तविक संख्या के अनुसार किया जाएगा।
- 21.4 'अनुमत्य छात्रवृत्ति राशि की गणना और संस्थानों को छात्रवृत्ति के वितरण में सुविधा प्रदान करने' के लिए भुगतान उन छात्रों की वास्तविक संख्या के अनुसार किया जाएगा, जिन्हें छात्रवृत्तियां वितरित की गई हैं।

21.5 'छात्रों के प्रदर्शन की निगरानी, योजना संबंधी प्रतिक्रिया के रखरखाव और छात्रों का डेटा तैयार करने' के लिए भुगतान उनके पाठ्यक्रम के दूसरे और बाद के वर्षों में अध्ययन कर रहे छात्रों की वास्तविक संख्या के अनुसार किया जाएगा।

- 21.6 पूर्व-प्राप्ति बिल ओआईए-॥ प्रभाग, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली के नाम से तीन प्रतियों में प्रस्तुत किए जाएंगे। भुगतान भारतीय रुपये में ही किया जाएगा।
- 21.7 साझेदार एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किए गए बिल विदेश मंत्रालय द्वारा नियुक्त स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा सत्यापित किए जाएगें। तत्पश्चात बिल/दावों की आगे विदेश मंत्रालय का वेतन और लेखा कार्यालय (पीएओ) जांच करेगा। विदेश मंत्रालय द्वारा बिलों के शीघ्र निपटारे के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।
- 21.8 विदेश मंत्रालय साझेदार एजेंसी को कोई अग्रिम भुगतान नहीं करेगा।
- 21.9 साझेदार एजेंसी अपने विवरण के साथ विदेश मंत्रालय को अपना दावा प्रस्तुत करेगी और भागीदार एजेंसी को ईसीएस अंतरण द्वारा भुगतान उनके खाता में भेजा जाएगा।

22. संविदा की समाप्ति।

भागीदार एजेंसी की ओर से कर्तव्यों के निष्पादन या अनुबंध के उल्लंघन में विफलता के मामले में, मंत्रालय अनुबंध समाप्त कर सकता है। भागीदार एजेंसी वसूली के अन्य तरीकों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना प्रत्येक हानि या परिणामी क्षिति के लिए उत्तरदायी होगी, और इस प्रकार के नुकसान/क्षिति की लागत उनसे बकाया के रूप में या कानून द्वारा स्थापित किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा वसूली जाएगी।

यदि छात्रवृत्ति कार्यक्रम को किसी अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए बंद कर दिया जाता है और किसी अन्य कारण से, बोली जीतने वाली एजेंसी द्वारा तब तक किए गए वास्तविक खर्चों पर पारस्परिक रूप से सहमति होगी और प्रतिपूर्ति की जाएगी। अन्य कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

यदि इस खंड के प्रावधानों के तहत संविदा को समाप्त कर दिया जाता है, तो ग्राहक द्वारा बैंक गारंटी भी जब्त की जा सकती है।

23. शास्ति खंड।

कार्य पूरा न करने/असंतोषजनक कार्यों पर जुर्माना ऐसे कार्यों के अनुबंध के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और लगाए गए जुर्माने का कुल मूल्य निष्पादन प्रतिभूति जब्त करने के अलावा अनुबंध मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

24. अप्रत्याशित घटना।

पार्टी अपने दायित्वों को पूरा करने में विफलता के संबंध में उत्तरदायी होगा, यदि उक्त असफलता पूरी तरह से ईश्वर, प्राकृतिक आपदाओं या तबाही, महामारियों या गड़बड़ी या अप्रत्याशित घटना के कृत्यों के कारण है। अप्रत्याशित घटना में शामिल नहीं हैं (i) कोई भी घटना जो लापरवाही या किसी पार्टी के एजेंटों या कर्मचारियों की लापरवाही या जानबूझकर कार्रवाई के कारण होती है शामिल नहीं होगी, और न ही (ii) कोई भी घटना जो कार्य सौंपते समय, यथोचित दोनों को ध्यान में रखते हुए उनसे आशा की जा सकती है कि वे इसके अंतर्गत अपने दायित्वों के निर्वहन में सतत प्रयास करें। अप्रत्याशित घटना में धन या जनशक्ति की अपर्याप्तता या इस अनुबंध के अंतर्गत सेवाओं के निष्पादन के लिए आवश्यक कोई भुगतान करने में असमर्थता शामिल नहीं होगी।

अप्रत्याशित घटना से प्रभावित एक पक्ष तुरंत इस प्रकार की घटना को दूसरे पक्ष को सूचित करेगा और ऐसी घटना की प्रकृति और कारण के पर्याप्त और संतोषजनक साक्ष्य प्रदान करेगा, और यथाशीघ्र सामान्य कार्यों की बहाली की लिखित सूचना देगा।

25. विच्छेदता।

इस आरएफपी में प्रत्येक प्रावधान दूसरों से विच्छेद और भिन्न है और यदि किसी भी समय एक या अधिक ऐसे प्रावधान अमान्य, अवैध या लागू करने योग्य हो जाते हैं, तो इस आरएफपी के शेष प्रावधानों की वैधता, वैधता और प्रवर्तनीयता किसी भी तरह से प्रभावित या हानि नहीं होगी।

26. मध्यस्थता।

यदि इस करार से संबंधित कोई मतभेद उपजता है अथवा इसके अंतर्गत किए जाने वाले भुगतान के निर्वाचन पर मतभेद होता है तो इसे पारस्परिक परामर्श और वार्ताओं द्वारा निपटाया जाएगा। यदि सुलह के प्रयासों से 30 दिनों की अवधि के भीतर कोई परिणाम नहीं निकलता है, तो या तो पक्ष मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय के लिए विवाद प्रस्तुत करने के लिए दूसरे पक्ष से अनुरोध कर सकते हैं जिसमें एकमात्र मध्यस्थ होगा जो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार और दोनों पक्षों की आपसी सहमित से होगा। मध्यस्थता कार्यवाही नई दिल्ली में होगी और अंग्रेजी में आयोजित की जाएगी। पंचाट और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम लागू होने वाली ऐसी कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

27. आरएफपी के प्रत्युत्तर में बोलियां जमा करना।

बोली के दस्तावेज ऑनलाइन जमा किए जाएंगे और निर्धारित तिथि और समय और निर्धारित मानदंडों पर चयनित बोलीदाताओं के सामने खोले जाएंगे।

28. आवेदन कैसे करें:

- 28.1 बोलियां केवल केंद्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल पर ऑनलाइन जमा की जाएंगी (वेबसाइट: http://eprocure.gov.in/eprocure/app)
- 28.2 मैनुअल बोलियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।

(बोलीदाताओं द्वारा उनके लैटर-हैड पर हस्ताक्षरित और प्रस्तुत किया जाए)

निविदा दस्तावेज में निहित नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के संबंध में घोषणा

सेवा में,

विदेश मंत्रालय (ओआईए-॥ प्रभाग)

अकबर भवन,

सत्य मार्ग, चाणक्यपुरी

नई दिल्ली - 110021

महोदय,

मैंने, प्रवासी बच्चों के लिए मंत्रालय के छात्रवृत्ति कार्यक्रम (एसपीडीसी) के लिए भागीदार के चयन के लिए निविदा दस्तावेज में निहित नियमों और शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ा है। मैं घोषणा करता हूं कि आरएफपी में निहित इस निविदा दस्तावेज के सभी प्रावधान मेरी कंपनी/संगठन को स्वीकार्य हैं।

2. मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैं अपनी कंपनी/संगठन का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हूं और इसलिए यह घोषणा करने में सक्षम हूं।

आपका,

नाम:

पदनाम:

कंपनी/संगठन:

पताः

विदेश मंत्रालय (विदेश मंत्रालय) नई दिल्ली और				
के बीच करार ज्ञापन				
यह करार आज के दिन भारत के राष्ट्रपति जो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की अपर सचिव				
(ओआईए-॥) मणिका जैन ने नई दिल्ली के माध्यम से कार्यरत है और जिनका कार्यालय अकबर भवन, नै दिल्ली-				
110 021 में है (इसके बाद विदेश मंत्रालय के रूप में संदर्भित किया है, जो अभिव्यक्ति, जब तक कि संदर्भ के				
प्रतिकूल नहीं होगा, इसके उत्तराधिकारियों और समनुदेशितों को शामिल किया जाएगा) के बीच किया गया है।				
और				
और जबकि, भारत सरकार "विदेश मंत्रालय" के माध्यम से भारतीय उच्च और तकनीकी संस्थानों चिकित्सा				

2. अनुबंध की वैधता।

अब, इसलिए, पार्टियां निम्नलिखित पर सहमत हैं:

यह अनुबंध तीन वर्षों के लिए मान्य होगा अर्थात शैक्षणिक वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए और इसके बाद एक और वर्ष के लिए एक ही दर, नियम और शर्तों पर और दोनों पक्षों की आपसी सहमित से नवीनीकृत किया जाएगा।

संस्थानों को छोड़कर में अध्ययन के लिए प्रवासी भारतीयों के बच्चों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना तैयार करना

चाहती है, और टर्नकी आधार पर तैयार की गई योजना को भी लागू करना चाहती है।

3.	विदेश मंत्रालय की भूमिका।
	मंत्रालय एक नोडल व्यक्ति को अधिसूचित करेगा जो योजना के सुचारू कार्यान्वयन के संबंध में के साथ समन्वय और संवाद करेगा।
3.2	मंत्रालय, वित्तीय अनुमोदन और कार्यान्वयन की योजना सहित योजना की मंजूरी से अवगत कराएगा।
	मंत्रालय सभी संबंधितों को सूचित करेगा कि योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सहायता को सुगम के लिए नोडल समन्वय एजेंसी है।
	मंत्रालय भारतीय मिशनों सहित विभिन्न सरकारी माध्यमों से लक्षित देशों में सूचना के आवश्यक प्रसार की ा करेगा जैसे कि इस योजना को विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों आदि की वेबसाइट पर अपलोड करना।
साथ भ	मंत्रालय लक्षित देशों में भारतीय मिशनों के संबंधित अधिकारी द्वारा संभावित उम्मीदवारों के प्रशंसापत्र के रे हुए आवेदनों को प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा और निर्धारित समय के अनुसार इसे को करेगा।
	मंत्रालय अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा शीघ्र मंजूरी प्रदान करने के लिए आवश्यक दस्तावेज/प्रमाणन ह लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।
4.	नोडल एजेंसी की भूमिका।
नेयुक्त नंत्रालय	प्रवासी बचों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम (एसपीडीसी) के लिए भागीदार के रूप में को किया गया है। यह कार्यक्रम भारत सरकार की एक पहल है और इसका आयोजन पूरी तरह से विदेश द्वारा किया जा रहा है। यह आवश्यक है कि साथी और उसके सहयोगियों, प्रायोजकों और भागीदारों के पूरी तरह से स्पष्ट हैं। अत: साझेदार निम्नलिखित कार्य करेगा:
4.1.1	एसपीडीसी की सकारात्मक छवि को बढ़ावा देने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करना।
4.1.2	विदेश मंत्रालय की सहमति के बिना प्रचार गतिविधियों को करना और उसकी सूचना मंत्रालय देना।
	ऐसी किसी भी प्रचार गतिविधियों में शामिल होने से परहेज करना जिसकी व्याख्या अनुचित और/या या संबंधित एजेंसियों के लिए निंदा का कारण बन सकती है।
	एक नोडल व्यक्ति को अधिसूचित करेगा जो योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए

- 4.3 संबंधित पाठ्सक्रम के पूरा होने तक छात्रों का स्थानीय अभिभावक बने रहना।
- 4.4 साझेदार, लागत में मितव्ययता करते समय, यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य की गुणवत्ता समय सारणी के अनुसार और विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित रूप में बनाए रखी जाए।

आचार संहिता।

- 5.1..... को प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम के लिए भागीदार के रूप में नियुक्त किया जाता है। यह कार्यक्रम भारत सरकार की एक पहल है और इसका आयोजन पूरी तरह से विदेश मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यह आवश्यक है कि भागीदार एजेंसी और उसके सहयोगियों, प्रायोजकों और अन्य भागीदारों के संचालन पूरी तरह से स्पष्ट हों। अत: भागीदार एजेंसी निम्नलिखित कार्य करेगी—
- 5.1.1 एसपीडीसी की सकारात्मक छवि को बढ़ावा देने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगी।
- 5.1.2 विदेश मंत्रालय की सहमति के बिना प्रचार गतिविधियां नहीं करेगी।
- 5.1.3 ऐसी किसी भी प्रचार गतिविधियों में शामिल नहीं होगी जिसकी व्याख्या अनुचित और/या सरकार या संबंधित एजेंसियों के लिए निंदा का कारण बन सकती है।

भुगतान की अनुसूची।

- 6.1 सफल बोलीदाता को निविदा दिए जाने और विदेश मंत्रालय और चयनित भागीदार एजेंसी के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद, मंत्रालय भागीदार एजेंसी द्वारा प्रस्तुत उद्धरण के अनुसार और अधिकतम 150 पात्र आवेदनों के अधीन प्राप्त नए पात्र आवेदनों की संख्या के आधार पर और पिछले वर्षों के बैचों में छात्रों की संख्या के आधार पर सफल विक्रेता का भुगतान करेगा। उक्त भुगतान छात्रों को छात्रवृत्तियों के वितरण के दस्तावेजी प्रमाण के प्रस्तुत किए जाने पर वार्षिक आधार पर किया जाएगा। यथा लागू करों का भी भुगतान किया जाएगा।
- 6.2 'योजना के प्रचार' के लिए भुगतान प्राप्त अर्हक आवेदनों की वास्तविक संख्या के आधार पर किया जाएगा।
- 6.3 'आवेदनों की जांच' के लिए भुगतान चयनित एजेंसी द्वारा संवीक्षा किए गए आवेदनों की वास्तविक संख्या के अनुसार किया जाएगा।

- 6.4 'अनुमत्य छात्रवृत्ति राशि की गणना और संस्थानों को छात्रवृत्ति के वितरण में सुविधा प्रदान करने' के लिए भुगतान उन छात्रों की वास्तविक संख्या के अनुसार किया जाएगा, जिन्हें छात्रवृत्तियां वितरित की गई हैं।
- 6.5 'छात्रों के प्रदर्शन की निगरानी, योजना संबंधी प्रतिक्रिया के रखरखाव और छात्रों का डेटा तैयार करने' के लिए भुगतान उनके पाठ्यक्रम के दूसरे और बाद के वर्षों में अध्ययन कर रहे छात्रों की वास्तविक संख्या के अनुसार किया जाएगा।
- 6.6 पूर्व-प्राप्ति बिल ओआईए-॥ प्रभाग, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली के नाम से तीन प्रतियों में प्रस्तुत किए जाएंगे। भुगतान भारतीय रुपये में ही किया जाएगा।
- 6.7 साझेदार एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किए गए बिल विदेश मंत्रालय द्वारा नियुक्त स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा सत्यापित किए जाएगें। तत्पश्चात बिल/दावों की आगे विदेश मंत्रालय का वेतन और लेखा कार्यालय (पीएओ) जांच करेगा। विदेश मंत्रालय द्वारा बिलों के शीघ्र निपटारे के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।
- 6.8 विदेश मंत्रालय साझेदार एजेंसी को कोई अग्रिम भुगतान नहीं करेगा।
- 6.9 साझेदार एजेंसी अपने विवरण के साथ विदेश मंत्रालय को अपना दावा प्रस्तुत करेगी और साझेदार एजेंसी को ईसीएस अंतरण द्वारा भुगतान उनके खाता संख्या.....ं में भेजा जाएगा।

7. अनुबंध की समाप्ति।

भागीदार एजेंसी की ओर से कर्तव्यों के निष्पादन या समय से पहले समाप्ति या अनुबंध के उल्लंघन में विफलता के मामले में, भागीदार एजेंसी वसूली के अन्य तरीकों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना हर नुकसान या परिणामी क्षित के लिए उत्तरदायी होगी, और इस तरह के नुकसान/क्षित की लागत उनसे भूमि राजस्व के रूप में या कानून द्वारा स्थापित किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा वसूली जाएगी।

पूर्वोपाय उपाय।

8.1 भागीदार एजेंसी, लागत में अर्थव्यवस्था का अवलोकन करते हुए, यह सुनिश्चित करेगी कि कार्य की गुणवत्ता समय सारणी के अनुसार और विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की जाए।

प्रतिनिधित्व और वारंटी।

- 9.1 यह करार यहां प्रतिनिधित्व के आधार पर निष्पादित किया जा रहा है जिसमें यह भी शामिल है:-
- 9.1.1 इस समझौते को अपनी ओर से निष्पादित करने वाले व्यक्तियों ने ऐसा करने का अधिकार व्यक्त किया है, और ऐसा करने में, पार्टी प्रतिबद्ध हैं;
- 9.1.2 इस समझौते का निष्पादन किसी कानून, चार्टर विनियमन या किसी अन्य शासी प्राधिकरण के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता और
- 9.1.3 इस समझौते का निष्पादन सभी आवश्यक कॉर्पोरेट कार्रवाई द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत है और यह करार पार्टियों वैध है और पार्टियों का बाध्यकारी दायित्व है, जो इसकी शर्तों के अनुसार लागू प्रवर्तनीय है।
- 9.1.4 साझेदार एजेंसी श्रम कानूनों सहित सभी कानूनों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी है।
- 9.1.5 विदेश मंत्रालय और साझेदार एजेंसी के बीच कोई नियोक्ता एवं कार्मिक संबंध नहीं है। विदेश मंत्रालय के विरुद्ध साझेदार एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा शुरू किए गए किसी भी मुकदमे के मामले में, साझेदार एजेंसी विदेश मंत्रालय को क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत है।

10. <u>नोटिस</u>।

किसी भी पार्टी द्वारा लिखित रूप में दिए जाने वाले सभी नोटिस हाथ से दिए जाएंगे या पंजीकृत डाक द्वारा संबंधित पार्टी के पते पर भेजे जाएंगे:-

मणिका जैन अपर सचिव (ओआईए) विदेश मंत्रालय अकबर भवन, कमरा नं. 916 नई दिल्ली — 110021

श्री

साझेदार (प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम एसपीडीसी)

अथवा किसी भी पक्ष द्वारा इसके अंतर्गत नोटिस देने के प्रयोजन के लिए इस प्रकार के अन्य पते पर किसी भी समय या समय-समय पर दूसरे पक्ष को लिखित रूप में प्रस्तुत करेंगे।

13. शास्ति खंड।

कार्य पूरा न करने/असंतोषजनक कार्यों पर जुर्माना ऐसे कार्यों के अनुबंध के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और लगाए गए जुर्माने का कुल मूल्य निष्पादन प्रतिभूति जब्त करने के अलावा अनुबंध मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

11. विच्छेदता।

इस करार में प्रत्येक प्रावधान दूसरों से विच्छेद और भिन्न है और यदि किसी भी समय एक या अधिक ऐसे प्रावधान अमान्य, अवैध या लागू करने योग्य हो जाते हैं, तो इस आरएफपी के शेष प्रावधानों की वैधता, वैधता और प्रवर्तनीयता किसी भी तरह से प्रभावित या हानि नहीं होगी।

12. अप्रत्याशित घटना।

युद्ध, आक्रमण, क्रांति, दंगे, तालाबंदी, हड़ताल, सरकारी अधिनियमों या विधायिका या अन्य प्राधिकरणों द्वारा किए गए कार्य, परमेश्वर के कार्य, जिसका प्रभाव 5 दिनों से अधिक है और जो समझौते में निर्दिष्ट समय के भीतर परियोजना को पूरा करने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोकेगा, को अप्रत्याशित घटना माना जाएगा। भागीदारों को बिना किसी वित्तीय परिणाम के अप्रत्याशित घटना के कारण होने वाली देरी को पूरा करने के लिए आवश्यक समय-विस्तार प्रदान किया जाएगा या विदेश मंत्रालय संशोधित दिशानिर्देश या निर्देश जारी कर सकता है।

13. मध्यस्थता।

यदि इस करार से संबंधित कोई मतभेद उपजता है अथवा इसके अंतर्गत किए जाने वाले भुगतान के निर्वाचन पर मतभेद होता है तो इसे पारस्परिक परामर्श और वार्ताओं द्वारा निपटाया जाएगा। यदि सुलह के प्रयासों से 30 दिनों की अविध के भीतर कोई परिणाम नहीं निकलता है, तो या तो पक्ष मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय के लिए विवाद प्रस्तुत करने के लिए दूसरे पक्ष से अनुरोध कर सकते हैं जिसमें एकमात्र मध्यस्थ होगा जो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार और दोनों पक्षों की आपसी सहमित से होगा। मध्यस्थता

कार्यवाही नई दिल्ली में होगी और अंग्रेजी में आयोजित की जाएगी। पंचाट और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम लागू होने वाली ऐसी कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

14. संशोधन।

14.1 आरएफपी अथवा तद्रतंर में कोई परिवर्तन इस करार के अभिन्न अंग होंगे।

14.2 संविदा की अवधि के दौरान कोई भी संशोधन परस्पर चर्चा और समझौते के बाद किया जाएगा और लिखित रूप में होगा।

15. पूर्ण करार

15.1 यह करार इस विषय के संबंध में पक्षों के बीच सभी पूर्व समझौतों और वचनों, मौखिक या लिखित, का अतिक्रमण करता है।

"इसके साक्ष्य में दोनों पक्षकारों ने इस करार पर अपर लिखित तारीख को हस्ताक्षर किए हैं।"

मणिका जैन अपर सचिव (ओआईए) विदेश मंत्रालय अकबर भवन, कमरा नं. 916 नई दिल्ली — 110021

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

की उपस्थिति में (1) साक्षी

(2) साक्षी

पदनाम		
पता		
	कि वि	लेए और उनकी ओर से
की उपस्थिति में	(1)	साक्षी
	(11)	साक्षी